रजिस्ट्री सं. डीएल(एन)-04/0007/2003--05 REGISTERED No. DL(N)-04/0007/2003—05

सत्यमेव जयते

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं॰ 38] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 17—सितम्बर 23, 2005 (भाद्रपद 26, 1927)

No. 38] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 17—SEPTEMBER 23, 2005 (BHADRA 26, 1927)

**इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।**

**(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)**

## विषय-सूची

भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं ..... 945

भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं ..... 883

भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं ..... 7

भाग I--खण्ड-4--रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं ... 1707

भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम ..... *

भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ ..... *

भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट ..... *

भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)--भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं)..... *

भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)--भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं..... *

भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)--भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित और होते हैं)... *

भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश ..... *

भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं ..... 1205

भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेन्टें और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस ..... 451

भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं ..... *

भाग III—खण्ड-4—विधिक अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं ..... 2237

भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस .... 263

भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूरक ..... *

*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

## CONTENTS

PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court ..... 945

PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court ..... 883

PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence..... 7

PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence..... 1707

PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations..... *

PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi languages of Acts, Ordinances and Regulations ..... *

PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills..... *

PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules including Orders, Bye-laws, etc. of general character issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)..... *

PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)..... *

PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories) ..... *

PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence ..... *

PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India ..... 1205

PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs..... 451

PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners..... *

PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies..... 2237

PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies ..... 263

PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi..... *

*Folio not received.

# भाग I—खण्ड 1
# [PART I—SECTION 1]
## [(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]
## [Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 29 अगस्त 2005

सं. 122-प्रेज/2005--राष्ट्रपति का पुलिस पदक और पुलिस पदक से संबंधित संविधि की 'आठवीं' संविधि के अनुसरण में राष्ट्रपति सचिवालय की समय-समय पर संशोधित दिनांक 1 मार्च, 1951 की अधिसूचना सं. 4-प्रेज में निहित राष्ट्रपति का पुलिस पदक के नियम 7 और पुलिस पदक के नियम 9 में निम्नलिखित संशोधन किए जाते हैं :--

राष्ट्रपति का पुलिस पदक :--

वर्तमान नियम 7 के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाता है :--

7. '26 जनवरी (गणतंत्र दिवस) और 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस) को विशिष्ट सेवा के लिए पुरस्कारों की घोषणा संबंधी संस्तुतियां इस तरह भेजी जानी चाहिएं कि वे सचिव, भारत सरकार, गृह मंत्रालय के पास हर वर्ष क्रमशः 26 अक्तूबर और 15 मई तक अवश्य पहुंच जाएं।'

पुलिस पदक :--

वर्तमान नियम 9 के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाता है :--

9. '26 जनवरी (गणतंत्र दिवस) और 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस) को सराहनीय सेवा के लिए पुरस्कारों की घोषणा संबंधी संस्तुतियां इस तरह भेजी जानी चाहिएं ताकि वे सचिव, भारत सरकार, गृह मंत्रालय के पास हर वर्ष क्रमशः 26 अक्तूबर और 15 मई तक अवश्य पहुंच जाएं।'

ये संशोधन तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

बरुण मित्रा
निदेशक

---

कम्पनी कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 5 सितम्बर 2005

संकल्प

सं. 3/9/2002-डीसैल/प्रशा.IV--जैसा कि भारत सरकार ने दिनांक 9 जनवरी, 2003 को तत्कालीन कम्पनी कार्य विभाग अब कम्पनी कार्य मंत्रालय में, गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) के गठन का निर्णय लिया है। भारत सरकार ने कारपोरेट धोखाधड़ियों में जांच का कार्य करने के उद्देश्य से कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अंतर्गत कम्पनी कार्य मंत्रालय में दिनांक 01.07.2003 से प्रभाव में आने वाले गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) का गठन किया है।

इस बात को ध्यान में रखते हुए कि ऐसे धोखाधड़ियों को (क) अंतर विभागीय जटिलता, बहुअनुशासनिक और अंतर्राष्ट्रीय विभाजने, (ख) पैसों के गलत उपयोग के रूप में या प्रभावित व्यक्तियों की संख्या के रूप में लोकहित की ठेस संलिप्तता, और (ग) प्रणालियों कानूनों और प्रक्रियायों में सुधार में योगदान देने वाली जांचों की संभावना, के द्वारा वर्गीकृत किया जा सकता है, एसएफआईओ को कार्य को पूरा करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों, जिसमें लेखा, फॉरेन्सिक लेखा परीक्षण, कर व्यवस्था, सूचना तकनीक, पूंजी बाजारों, वित्तीय सौदों आदि शामिल हैं, में विशेषज्ञता रखने वाले विशेषज्ञों की सेवा लेने के लिए अधिकृत किया गया है।

एसएफआईओ की अध्यक्षता एक 'निदेशक' पद का अधिकारी (भारत सरकार के संयुक्त सचिव/अतिरिक्त सचिव के स्तर का) करता है जिसे सभी वित्तीय और प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए विभाग का अध्यक्ष घोषित किया गया है।

लोगों की सामान्य सूचना के लिए यह संकल्प भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है।

आदेश

1. आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों/सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों/निदेशक/ इंटेलिजेंस ब्यूरो, निदेशक, केन्द्रीय जांच ब्यूरो, दिल्ली, को दी जाए।

2. यह भी आदेश दिया जाता है कि सामान्य जानकारी के लिए यह संकल्प भारत के गजट में प्रकाशित हो।

वाई. एस. मलिक
संयुक्त सचिव

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 1 सितम्बर 2005

सं. एफ. 9-26/2004-यू.3--विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 की 3) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सलाह पर डी. वाई. पाटिल शिक्षा सोसायटी, कोल्हापुर (महाराष्ट्र) जिसका डी. वाई. पाटिल चिकित्सा कालेज, कोल्हापुर है, को तत्काल प्रभाव से उपर्युक्त अधिनियम के उद्देश्य हेतु निम्नलिखित शर्तों पर सम-विश्वविद्यालय घोषित करती है :--

(1) यह संस्थान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और भारतीय चिकित्सा परिषद् जैसे निकायों द्वारा समय-समय पर जारी सम-विश्वविद्यालय पर लागू होने वाले दिशा-निर्देशों का अनुपालन करेगा।

(2) संस्थान के संगम ज्ञापन/विनियमों को इस प्रकार संशोधित किया जाएगा :--

(क) संगम ज्ञापन के पैरा 1 में 'ट्रस्ट/सोसाइटी' के स्थान पर 'संस्थान' शब्द का प्रयोग किया जाए।

(ख) यह सुनिश्चित करने के लिए यह संस्थान कोई वाणिज्यिक कार्यकलाप नहीं करता है और अनुमोदित सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश भारत सरकार के नियमों के अनुसार केवल भविष्य निधि इत्यादि के उद्देश्यार्थ ही किया गया है संगम ज्ञापन के पैरा 3 (XXXIV)/नियमों में उपयुक्त शब्दों का प्रयोग किया जाए।

सुनिल कुमार
संयुक्त सचिव

---

अन्तरिक्ष विभाग

बेंगलूर-560094, दिनांक 1 सितम्बर 2005

सं ए.एस./एस-25--राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष आयोग का पुनर्गठन निम्नलिखित सदस्यों के साथ आगामी आदेश तक करते है :--

अध्यक्ष

1. श्री जी. माधवन नायर
   सचिव, अन्तरिक्ष विभाग

सदस्य

2. श्री पृथ्वीराज चव्हान
   राज्य मंत्री (प्रधान मंत्री का कार्यालय)
3. श्री एम. के. नारायणन
   राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार
4. डॉ. के. कस्तूरिरंगन
   संसद सदस्य और निदेशक, एन.आई.ए.एस.
5. श्री टी. के. ए. नायर
   प्रधान मंत्री के प्रधान सचिव
6. श्री बी. के. चतुर्वेदी
   मंत्रिमंडलीय सचिव
7. श्री ए. के. झा
   सचिव, आर्थिक कार्य विभाग

सदस्य (वित्त)

8. श्री एस. के. दास
   वित्तीय सलाहकार व पदेन सचिव, भारत सरकार

सदस्य

9. प्रो. आर. नरसिंहा
   भूतपूर्व निदेशक, एन.आई.ए.एस.
10. श्री एन. पंत
    भूतपूर्व उपाध्यक्ष, इसरो
11. डॉ. बी. एन. सुरेश
    निदेशक, विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र

वीणा एस. राव.
सचिव, अंतरिक्ष आयोग

## PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 29th August 2005

No. 122-Pres/2005.—In accordance with Statute 'Eighthly' of the Statute relating to President's Police Medal and Police Medal, the following amendments are made in Rule 7 of the President's Police Medal and Rule 9 of the Police Medal contained in President's Secretariat's Notification No. 4-Pres dated 1st March, 1951 as amended from time to time.

President's Police Medal :—

The present Rule 7 be substituted by the following :—

7. "Recommendations for the announcement of awards for distinguished service on the 26th January (Republic Day) and the 15th August (Independence Day) should be forwarded so as to reach the Secretary to the Government of India, Ministry of Home Affairs, not later that the 26th October, and the 15th May, respectively each year".

Police Medal :—

The present Rule 9 be substituted by the following :—

9. "Recommendations for the announcement of awards for meritorious service on the 26th January (Republic Day) and the 15th August (Independence Day) should be forwarded so as to reach the Secretary to the Government of India, Ministry of Home Affairs, not later that the 26th October, and the 15th May, respectively each year".

These amendments will come into force with immediate effect.

BARUN MITRA
Dir.

## MINISTRY OF COMPANY AFFAIRS

New Delhi-110001, the 5th September 2005

Resolution

No. 3/9/2002-D.Cell/Admn. IV.—Whereas the Government of India has decided on 9th January, 2003 to set up a Serious Fraud Investigation Office (SFIO) in the then Department of Company Affairs, and now the Ministry of Company Affairs. The Government of India has set up the Serious Fraud Investigation Office (SFIO) in the Ministry of Company Affairs w.e.f. 01.07.2003 with a view to undertaking investigations under the provisions of the Companies Act, 1956 in corporate frauds.

Keeping in view that such corporate frauds may be characterised by (a) complexity involving inter-departmental, multi-disciplinary and international ramifications, (b) substantial involvement of public interest either in terms of monetary misappropriation or in terms of the number of persons affected, and (c) the possibility of investigations leading to, or contributing towards, an improvement in systems, laws or procedures, the SFIO has been authorised to draw upon the services of experts and expertise in various fields including accountancy, forensic auditing, taxation, information technology, capital markets, financial transactions, etc. with a view to fulfilling the assigned task.

The SFIO is headed by an officer designated as 'Director' (of the level of Joint Secretary/Additional Secretary to the Govt. of India) who has been declared as Head of the Department for all financial and administrative purposes.

This resolution is published in the Gazette of India for general information of the public.

ORDER

1. Ordered that a copy of this Resolution be communicated to all Ministries/Departments of the Govt. of India/all State Governments/Union Territory Administrations/Director, Intelligence Bureau, Director, Central Bureau of Investigation, Delhi.

2. Ordered also that this Resolution be published in the Gazette of India for general information.

Y. S. MALIK
Jt. Secy.

## MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF SECONDARY & HIGHER EDUCATION)

New Delhi, the 1st September 2005

No. F. 9-26/2004-U.3.—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the University Grants Commission Act, 1956 (3 of 1956), the Central Government, on the advice of the University Grants Commission (UGC), hereby declare the D. Y. Patil Education Society, Kolhapur, (Maharashtra) consisting of D. Y. Patil Medical College, Kolhapur as Deemed to be University for the purpose of the aforesaid Act with immediate effect subject to the following conditions :—

(i) The Institute will adhere to the guidelines/ instructions issued by UGC and other concerned statutory bodies, such as the Medical Council of India, from time to time as applicable to the Deemed to be Universities.

(ii) Memorandum of Association (MOA)/Rules of the Institute shall be amended, as under :—

(a) In Para 1 of MOA, the word 'Institute' may be used instead of 'Trust/Society'.

(b) Para 3 (XXXIV) of MOA/Rules should be appropriately worded to ensure that the Institute undertakes no commercial activity and the investments are made in approved Government securities only for the purposes of Provident Fund etc. as per the Government of India's Rules.

SUNIL KUMAR
Jt. Secy.

DEPARTMENT OF SPACE

Bangalore-560094, the 1st September 2005

No. AS/S-25.—The President is pleased to reconstitute the Space Commission with the following composition until further orders :—

Chairman

1. Shri G. Madhavan Nair
Secretary, Department of Space

Members

2. Shri Prithviraj Chavan
Minister of State (PMO)

3. Shri M. K. Narayanan
National Security Adviser

4. Dr. K. Kasturirangan
Member of Parliament and Director, NIAS

5. Shri T. K. A. Nair
Principal Secretary to Prime Minister

6. Shri B. K. Chaturvedi
Cabinet Secretary

7. Shri A. K. Jha
Secretary, Department of Economic Affairs

Members (Finance)

8. Shri S. K. Das
Financial Adviser &
Ex-Officio Secretary to the Government of India

Members

9. Prof. R. Narasimha
Ex-Director, NIAS

10. Shri N. Pant
Ex-Deputy Chairman, ISRO

11. Dr. B. N. Suresh
Director, Vikram Sarabhai Space Centre

VEENA S. RAO
Secy. to the Space Commission

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2005
PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2005